रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, मंगलवार अक्तूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905
No. 407] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1983

सा. का. नि. 791(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य श्री जगपत दूबे को उक्त आयोग के सचिव के रूप में 11 अक्तूबर, 1983 को प्रारम्भ होकर तथा 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियुक्त करती है ।

[सं. 13(3)/83-के.वी.आई. (1)]
सू. भा. जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1983

G. S. R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Khadi & Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Jagpat Dubey, a member of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of Section 4 of the said Act, as Secretary of the said Commission for the period commencing on and from the 11th October, 1983 and ending on the 30th September, 1986.

[No. 13(3)|83-KVI(I)]
S. B. JAIN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983